The 22nd August, 1985

No. 1014/40-L/Drg.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the Government, at the public expense, namely, for additional land to be acquired for constructing Kultana-Chhudani-Bhupania drain from RD. 57,000 to 64,550 left side in villages Chhudani and Rewari Khera in Tehsil Bahadurgarh, District Rohtak.

It is hereby notified that the land in the locality described below, is likely to be required for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers of the Irrigation Department with their servants and workmen, for the time being engaged in the undertaking, to enter upon, and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within a period of thirty days of the publication of this notification, file an objection, in writing before the Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Officer, Bahadurgarh.

Plans of the land may be inspected in the office of the Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Officer, Bahadurgarh and the Executive Engineer, Bahadurgarh Drg. Division, Bahadurgarh.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in Acres	Rect. No.	Killa Nos.
						A strip of land 7,550' in length of varying width generally lying in the direction from North-West to South-East.
Rohtak	Bahadugarh	Rewari Khera	19	2.48	19	20, 21; 22.
					20	3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 25.
					26	1, 2/1, 2/2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24/2, 25.
					33	4/1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25.
					42	4/1, 2, 5, 6, 7, 15
					43	10/2, 11, 12, 19, 20, 22, 23/1 2, 18.
					47	20, 21
					48	3, 4/1, 2, 7/1, 2, 14, 15, 16, 25, 6/2, 5/1, 5/2
					59	1, 2, 9, 10
						G.M 146
						5 Karam rasta in killa No. 42/4/1.
						3 Karam rasta between killa No. 48/14, 15
						2 Karam rasta between killa No. 47/21 and 48/25
						G.M Pond in rect. no. 20

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in Acres	Rect. No.	Killa Nos.
Rohtak	Bahadurgarh	Chhudani	93	0.33	4	9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24
					8	3, 8, 13, 18, 23, 4, 7, 14, 17, 24.
					19	3, 8, 13, 18, 23, 4, 7, 14, 17, 24
					27	3, 4, 8, 9, 12, 13, 19, 18
						G.M. 164, 163, 485
		Total		2.81		As shown on the Index Plan and demarcated at site.

By order of the Governor of Haryana.

B. R. DUA,

Superintending Engineer,
Drainage Circle, Rothak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 26 अगस्त, 1985

सं.ओ.वि./एफ०डी०/139–85/34949.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. के. जी. खोसला कम्प्रैशरस लि., 2. मै. खोसला फाउन्ड्री लि., 3, मै. दीपक न्यूमैटिक्स प्रा. लि., 18.8 कि. मी. देहली–मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7–क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद के नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या आल के. जी. खोसलाज इम्पलाईज यूनियन रजि. नं. 800 मान्यता प्राप्त करने की हकदार है ?
2. क्या संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के ग्रेड मांग पत्र में दिये गये विवरण अनुसार रिवाईज किये जाने चाहिये ? यदि हां, तो किस विवरण से।
3. (क) क्या कारखाने मे कार्यरत सर्भ कर्मचारी इंस्टेटिक लिंके एव इन्सेंटिव स्कीम के अनुसार महंगाई भत्ता की दर बढ़ाई जानी चाहिये ? यदि हां तो किस विवरण से।

   (ख) क्या संस्था के सभी श्रमिक प्रति वर्ष एक जोड़ा गर्म वर्दी, दो जोड़ा टेरीकाट की वर्दी, दो जोड़ा जूता (बाटा कम्पनी का) तथा दो जोड़ा जुराब पाने के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण से ।

(ग) क्या संस्था के वर्तमान साइकिल स्टैन्ड का विस्तार करना एंव आर. एण्ड डी. सैंटर में नया साइकिल सैन्टड बनाया जाना चाहिए ? यदि हां तो किस विवरण से ।

4. (क) क्या संस्था में कार्यरत श्रमिकों के कार्य के अनुसार पदों का सृजन किया जाना चाहिये ? यदि हां तो किस विवरण से ।

(ख) क्या आई. टी. आई. पास एंव प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये श्रमिक एंव जो श्रमिक आई. टी. आई. पास नही है और जिनकी सेवायें पांच वर्ष हो गई है पूर्ण स्केल का ग्रेड लेने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण से ।

(ग) क्या जो श्रमिक अपने कार्य पर देरी से आता है तो उसे देरी का समय काट कर काम पर उपस्थित होने का हकदार है ?

5. क्या संस्था मे कार्यरत श्रमिक निम्नलिखित आधार पर छुट्टियां लेने के हकदार हैं :—

(क) अर्जित अवकाश 15 दिन कार्य करने पर एक दिन का ।

(ख) तथा (ग) आकस्मिक अवकाश एंव बिमारी की छुट्टी 10–10 दिन के हिसाब से ।

(घ) त्योहार की छुट्टियां राष्ट्रीय छुट्टियों सहित 18 दिन के हिसाब से ? यदि हां तो किस विवरण से ।

6. (क) क्या श्रमिक संस्था में दिनांक 13 फरवरी 1984 से 27 मार्च, 1984 तक की तालाबन्दी के समय का पूर्ण वेतन लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ।

(ख) क्या श्रमिक सर्वश्री लाल जी यादव, भीम सिंह यादव, उदयबीर सिंह, जयपाल, राम आशीष, रोहतास पाल मेहता, जतेन्द्र कुमार, मदन गोपाल, महेन्द्र सिंह राना, श्रवण कुमार, राम निवास, शिव चरन, गौरी शंकर, अवधेष कुमार, गोस्वामी, गुरमित राम, जगदीश यादव, सतीश कुमार, श्याम बिहारी, राम वचन, मोहन बाबू, राम सकल, अयोध्या प्रसाद तथा लोक नाथ शुक्ला की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार हैं ?

दिनांक 28 अगस्त, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./57–85/34961.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) मुख्य अभियन्ता, थर्मल प्लान्ट, फरीदाबाद के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7–क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फ़रीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायानिर्णय हेतु विनिर्दिष्ट करते हैं—

क्या अनुबन्ध "क" में दिए गए बौयलर पद पर कार्यरत श्रमिक यूनियर इन्जिनियर के पद एवं उच्च वेतन रुपये 700–1,200 के स्केल के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

अनुबन्ध–क

सर्वश्री—

1. धर्मवीर शर्मा
2. नरेन्द्र पाल शर्मा

सर्वश्री—

3. रजिन्द्र कुमार
4. सूरज प्रकाश
5. नरेश चन्द्र शर्मा
6. देवी दास
7. प्रेम राज सिंह
8. ओम प्रकाश
9. इन्द्र प्रकाश
10. जय पाल शर्मा
11. लाला राम
12. संत लाल राम

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 23 जुलाई, 1985

सं.औ.वि./एफ.डी./126-85/30675.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. आर. एम. कन्ट्रोल प्रा. लि. 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम नरेश वर्मा तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम नरेश वर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है, यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.औ.वि./एफ.डी./126-85/30682.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. आर.एम. कन्ट्रोल, प्रा.लि., 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मुन्नर यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री मुन्नर यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है, यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे. पी. रतन,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।